

	EXTRAORDINARY
	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
	PART II—Section 3—Sub-section (ii)
	प्राधिकार से प्रकाशित
	PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1972]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936
No. 1972]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

**का.आ. 2495(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कालम (2) में – तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कालम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथाविनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्: —

		n
्स	रि	गा

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	लंबाई (किमी में)		
(1)	(2)	(3)		
125	सितारगंज – टनकपुर खंड	किमी 0.000 से किमी 52.000		
	(उत्तराखंड राज्य में)			

[फा.सं. एनएच-14013/16/2014-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

3850 GI/2014

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS **NOTIFICATION**

## New Delhi, the 23rd September, 2014

S.O. 2495(E).-In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the Section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely: —

### **TABLE**

National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
125	Sitarganj-Tanakpur section (in the State of Uttrakhand)	From Km. 0.000 to Km. 52.200

[F. No. NH-14013/16/2014-P & M]

MAYA PRAKASH. Director (P&B)

**अधिसूचना** नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.आ. 2496(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एत**दद्वा**रा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (3) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (2) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधिंत राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एत**दद्वा**रा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

0

	सारणा		
(1)	(2)	(3)	
"23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 [किमी 152.00 से किमी 218.200 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा से हरिद्वार से	उत्तराखंड राज्य	
	नेपाली फार्म खंड) और किमी 228.00 से किमी 524.000 तक खंड को छोड़कर], सं. 72, [किमी	सरकार"	
	165.000 से किमी 196.825 (नेपाली फार्म – देहरादून खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए, सं. 73,		
	सं. 74 {किमी 175.000 से किमी 264.000 (काशीपुर – सितारगंज – बरेली खंड) तक खंड को		
	छोड़कर}, सं. 87, [सिमली से कर्ण प्रयाग (7.00 किमी) और किमी 43.30 से किमी 88.00 (रामपुर से		
	काठगोदाम) (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 94 (किमी 123 से किमी 218		

धरासू से कुठनौर निकट यमनोत्री), सं. 119, सं. 121, सं. 123, **सं. 125 {किमी 0.000 से किमी** 52.200 (सितारपुर – टनकपुर खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 107ए, नई रारा सं. 309ए और नई रारा सं. 334ए के उतने भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/16/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

# टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 2066(अ), तारीख 14 अगस्त, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

**S.O. 2496(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

## TABLE

(1)	(2)	(3)
"23	So much of National Highways No. 58 [excluding from Km. 152.00 to Km. 218.200 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border to Haridwar to Nepali Farm section) and from Km. 228.00 to Km. 524.000], No. 72 [excluding from Km. 165.000 to Km. 196.825 (Nepali Farm –Dehradun Section)], No. 72A, No. 73, No. 74 [excluding from Km.175.000 to Km. 264.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)], No. 87 [excluding from Simli to Karna Prayag (7.00 Km.) and from Km. 43.30 to Km. 88.00 (Rampur to Kathgodam) (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border)], No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No. 119, No. 121, No. 123, No. 125 [excluding from km. 0.000 to km. 52.200 (Sitarganj-Tanakpur section)], new National Highway No. 107A, new National Highway No. 309A and new National Highway No. 334A as are situated within the State of Uttrakhand.	State Government of Uttrakhand."

[F. No. NH-14013/16/2014-P & M] MAYA PRAKASH, Director (P & M)

**Note :** The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2066(E), dated the 14th August, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 3